

वर्तमान भारतीय निर्वाचन प्रणाली में सुधारों संबंधी सुझाव

Mamta Rani

Deptt. Of Political Science D.A.V. College, Abohar, India

भारत को लोकतंत्रीय राष्ट्रीय विरादरी में सबसे स्थिर एवं जीवन्त लोकतंत्रीय पद्धति वाले राष्ट्रों में शुभार किया जाता है। लोकतंत्र का पौध एक सहिष्णु एवं विवेकशील समाज में ही पहलवित एवं फलफुल सकता है। लोकतंत्रात्मक शासन के दो भेद माने जाते हैं—प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आज अधिकांश लोकतंत्रीय राष्ट्रों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात् प्रतिनिधिक लोकतंत्रीय पद्धति ही प्रचलित है। इस पद्धति में सरकार का निर्माण एवं संचालन नागरिकों द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। जिससे राज्य की प्रभुसत्ता व्यक्ति में प्रतिनिधि चुनती हैं निर्वाचन जनइच्छा का संवाहक होते हैं।¹ निर्वाचन—अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की अभिव्यक्ति है।

भारतीय राजीतिक व्यवस्था एवं राजनीति की दृष्टि से लोकतंत्र की अधिकांश समस्याओं एवं चुनौतियों के लिए वर्तमान निर्वाचन प्रणाली को उत्तरदायी ठहाराया जा रहा है। विशिष्टजन आमजन, नागरिक समाज एवं राजनीतिक चिंतकों का बड़ा तबका निर्वाचन प्रणाली की बेहतर एवं सशक्त वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश पर जोर दे रहा है। इसी संदर्भ में मैं भारतीय निर्वाचन प्रणाली की व्याधियों, न्यूनताओं एवं चुनौतियों के विवेचन के साथ-साथ इनके सुधारों की संभावनाओं की अनुशंसा करती हूँ:-

चुनाव की शुरुआत प्राचीन काल में यूनान के नगर एथेन्स से हुई और बाद में इसे रोमन में अपनाया गया। वहीं से ग्रीक भाषा के 'सेफोलाजी' शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। जिसका अर्थ है चुनाव और चुनाव प्रवृत्तियों को अध्ययत। शुरुआत हुई विभिन्न रंग के पत्थरों के इस्तेमाल से जो विभिन्न विकल्पों के संकेतक होते हैं। ग्रीक भाषा में 'सेफोस का अर्थ—पत्थर के टुकड़े।²

निर्वाचन का विषय भारतीय संविधान में आधारभूत महत्व रखता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आधारभूत महत्व रखता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने निर्वाचन का व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका पर न छोड़कर इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की। भारत में सरकार के चयन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में अन्तर्निहित है।

संविधान के 15 वे भाग में अनुच्छेद 324-329 में निर्वाचन एवं निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। अनुच्छेद 324 में संसद राज्यों के विधानमंडल राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों को अधीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण का दायित्व भारतीय निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। अनुच्छेद 325 जन प्रतिनिधि संस्थाओं तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन हेतु एक ही साधारण निर्वाचक नामावली प्रावधान का धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश तथा इसी तरह के अन्य आधारों पर भेदभाव की वाचना करता है। अनुच्छेद 326 में 21 वर्ष (61 वें संवैधानिक संशोधन 1989 के अन्तर्गत 18 कर दी गयी है) की आय प्राप्त प्रत्येक स्त्री-पुरुष को मताधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार का नियमत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 के प्रावधानों में होता है। अनुच्छेद 327 में संसद को संघीय व्यवस्थापिका के दोनों निर्वाचन सूचियों की तैयारी और निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के संबंध में आवश्यक कानून नियम तथा उपनियम बनाने के लिए

अधिकृत किया गया। संविधान द्वारा प्रदत्त उक्त शक्तियों³ का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 तथा परिसीमन अधिनियम 1972 का निर्माण किया गया है।

भारत में अब तक 15 लोकसभा एवं लगभग 360 राज्य विधान सभा चुनावों को कुशलता एवं निष्पक्षतापूर्वक कराने का प्रयास किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के कारण भारत में आम चुनावों का अयोजन यूरोप, अमेरिका, कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में एक साथ चुनाव कराये जाने के बराबर है।⁴ प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में केवल यही महत्वपूर्ण नहीं है। कि उसमें निर्वाचन हो बल्कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि निर्वाचन कैसे होते हैं। उनमें नियमितता एवं निष्पक्षता का अंश कितना है। निःसंदेह विश्व में ऐसा एक भी लोकतांत्रिक देश नहीं है। जिसकी निर्वाचन व्यवस्था को पूर्णतः दोषमुक्त कहा जा सके। स्वाधीन भारत में गणतंत्रीय संविधान के प्रथम आम चुनाव से लेकर अब तक विभिन्न चुनावों में अनेक व्यवहार जन्य एवं परिस्थितिजन्य दोष विद्यमान है जैसे :

- 1. धन की बढ़ती हुई भूमिका :** आज चुनावी राजनीति धनाढ्य वर्ग के हाथों में खेल बन गयी है। उदाहरणतः 15 वीं लोकसभा में एक करोड़ से अधिक सम्पत्ति वाले सांसदों की संख्या 300 है। जबकि 14 वीं लोकसभा में यह संख्या 154 ही थी।⁵
- 2. चुनावों में बढ़ता अपराधीकरण :** चुनावों में धनबल, बाहुबल, हिंसा एवं माफियातंत्र की बढ़ रही घटनाएँ निर्वाचनतंत्र के लिए एक चुनौती है। 15 वीं लोकसभा में आपराधिक छवि वाले सांसदों की संख्या 153 और 14 वीं लोकसभा में यह संख्या 128 ही थी⁶ अर्थात् 15 वीं लोकसभा में एक चौथाई से अधिक सांसद आपराधिक छवि वाले थे।
- 3. दोषपूर्ण दलीय पद्धति :** संकीर्ण क्षेत्रीयता, राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण, धनबल, बाहुबल एवं माफियातंत्र की भूमिका का विस्तार, जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा जाली एवं जबरन मतदान इत्यादि में से अधिकांश का स्रोत अथाव दोषपूर्ण दलीय पद्धति ही है।
- 4. प्रबंधन की समस्या :** भारत में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का औसतन आकार 6000 वर्ग मीटर होता है जो सामान्यतः 1000-1200 मतदान केन्द्रों में विभक्त होता है। चुनाव क्षेत्रों का विशाल आकार एवं जनसंख्या तथा विविधताओं से युक्त देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का आयोग निर्वाचन प्रशासन एवं प्रत्याशियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण एवं श्रम साध्य कार्य है।
- 5. याचिकाओं पर निर्णय में अत्यधिक विलम्ब :** भारत में चुनाव से सम्बन्धित याचिकाओं के निपटारे की प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लग जाता है। इस दौरान विवादस्पद प्रत्याशी लगभग पूरे काल तक अपने पद पर बने रहते हैं। परिणामस्वरूप बाहुबली एवं हिंसक प्रवृत्ति के लोगों को बल मिलता है।
- 6. निर्दलीय एवं गैर-मान्यता प्राप्त प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या :** भारत में लगभग 1200 दलों में से सक्रिय दलों की संख्या 40 के आस-पास है। शेष दल मौसमी है। उदाहरणतः 15 वीं लोकसभा के चुनावों में 369 राजनीतिक दलों ने चुनावों में भाग

लिया। इनमें से मात्र 36 दल ही अपने प्रत्याशियों को लोकसभा में भेजने में सफल रहे। बाकी 333 दलों का एक उम्मीदवार सफल नहीं हो सका।⁷ निर्दलीय प्रत्याशियों का बाहुल्य मतदाता के समक्ष सही विकल्प नहीं उतार पाते।

7. **सरकारी मशीनरी का दुरुप्रयोग** : सत्तारूढ़ दल चुनावों में प्रशासनतंत्र के दुरुप्रयोग से अपने चाहते अधिकारियों को पाँच वर्ष तक मलाईदार पोस्टिंग दिलवाते हैं तथा चुनावों के समय उनकी अपने क्षेत्र में तैनाती कराकर जनादेश के साथ खिड़वाड़ का कुप्रयास करते हैं।

भारत में चुनाव सुधारों पर सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयत्न हुए। चुनाव सुधारों के लिए समय-समय पर अनेक समितियाँ और आयोग गठित हुए जैसे, लोकनायक जय प्रकाश नारायण द्वारा जस्टिम वी.एस. तारकुण्डे की अध्यक्षता में गठित एक गैर-सरकारी तारकुण्डे समिति, वी.पी.सिंह सरकार द्वारा तत्कालीन विधि मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित दिनेश गोस्वामी समिति, संयुक्त साम्यवादी नेता इन्द्रजीत गुप्त की अध्यक्षता के विधि न्याय एवं कम्पनी मामलात मंत्रालय के अनुरोध में गठित राष्ट्रीय विधि आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग के सुझाव, वैकल्पिक निर्वाचन प्रणाली इत्यादि समितियों एवं आयोग द्वारा व्याधियों एवं विसंगतियों की विस्तृत एवं गहन समीक्षा के साथ-साथ अनेक विचार-विमर्श के पश्चात् चुनाव सुधारों पर रिपोर्ट तैयार की गयी। अपने प्रतिवेदन में चुनाव सुधारों से सम्बन्धित लगभग सभी पहलुओं को किसी न किसी रूप में अवश्य छुआ। काफी सिफारिशों के पश्चात्वती सरकारों ने क्रियान्वित भी किया। लेकिन बहुत सी सिफारिशों पर राजनीतिक दलों में आम सहमति होने के कारण कोई समग्र कार्यवाही नहीं हो सकी। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें इस संबंध में प्रयत्न करने चाहिए।⁸

भारतीय निर्वाचन प्रणाली में व्याप्त विसंगतियों एवं व्याधियों के विरुद्ध एकमुरत कार्यवाही का अब समय आ चुका है। विकल्प के रूप में निर्वाचन प्रणाली की परिकल्पना के प्रासंगिक एवं उपयोगी होते हुए भी इसके समाधान के लिए विभिन्न दलों, नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग एवं आमजन में व्यापक आम सहमति होनी आवश्यक है। लेकिन इस विषय पर न दलों में कोई आम सहमति है और न नागरिक व प्रबुद्ध वर्ग में कोई मतैक्य। अतः चुनाव सुधारों पर व्यापक आम सहमति की अब तक वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में कुछ प्रक्रियात्मक एवं अतिआवश्यक कदम उठाकर स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है जैसे :

1. राजनीतिक दलों का चुनावी गतिविधियों में जातीयता एवं साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने के कारण पंजीयन निरस्त किया जाना चाहिए।
2. राजनीतिक दलों पंजीकरण एवं उनकी गतिविधियों के आंकलन एवं नियमन के लिए निर्वाचन आयोग की तर्ज पर स्वायत्त एवं सशक्त संस्थागत व्यवस्था की जाये।
3. प्रत्याशी के एक अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध की व्यवस्था लागू की जाये।
4. प्रत्याशी एवं राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव व्यय की अतथ्यपूर्ण सूचना को भ्रष्ट आचरण माना जाये तथा उचित कार्यवाही के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकृत किया जाये।
5. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव व्यय का एक निश्चित भाग राज्य बहन करे और इस राशि का भुगतान चुनाव कोष से किये जाने की व्यवस्था हो।
6. मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्य न्यायधीश एवं नेता प्रतिपक्ष के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त की जानी चाहिए।
7. निर्वाचन आयोग के कार्यभार को कम करने एवं बेहतर तालमेल के लिए पूरे भारत वर्ष को पाँच क्षेत्रों-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण

एवं केन्द्रीय क्षेत्र में विभक्त कर प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय आयुक्त नियुक्त किये जाने चाहिए।

8. दलों की आय-व्यय से सम्बन्धित खातों के नियमित संधारण एवं अंकेक्षण व्यवस्था को अनिवार्य किया जाये। दलों को 20,000 रुपये से अधिक की राशी केवल बैंक या ज़ाफ्ट के माध्यम से ही चन्दे के रूप में लेने की अनुमति दी जाये।
9. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 के क्रियान्वयन के लिए विनियम निर्माण का अधिकार आयोग की दिया जाना चाहिए।
10. संविधान की 10 वीं अनुसूची में यह प्रावधान जोड़ा जाये कि पार्टी व्योग अथवा सदन में निर्णायक महत्व रखने वाले दलीय सचेतक के आदेशों की अवहेलता करने वाले जनप्रतिनिधियों को अपनी सीट से त्यागपत्र देकर पुनः जनादेश लेना चाहिए। साथ ही, शेष मामलों में सदस्यों के सदन में अपनी इच्छानुसार मतदान करने की अनुमति होनी चाहिए।
11. आपराधिक प्रवृत्ति वाले एवं बाहुबली प्रत्याशियों पर अंकुश रखने के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के अनुच्छेद 8 के प्रावधानों को और कड़ा किया जाये।
12. भारत में मताधिकार प्राप्त करने के इच्छुक अनिवासी भारतीयों से एक निश्चित राशि यथा 50 डॉलर प्रति व्यक्ति पंजीयन शुल्क के रूप में तथा प्रत्येक पाँच वर्ष के अन्तराल के पश्चात् 20 डॉलर प्रति व्यक्ति, नीवनीकरण शुल्क के रूप में बसूलकर उक्त राशि को चुनाव के रूप में स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए।
13. बिना उचित कारण के मताधिकार प्रयोग न करने वाले मतदाताओं पर मनी फायन प्लान के अन्तर्गत 'आर्थिक दण्ड' लगाने के पक्ष में एक व्यापक आम सहमति बनाने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए।
14. निर्वाचन न्यायालयों की सुनवाई के लिए पृथक न्यायालयों की स्थापना की जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि चुनाव समापन की तिथि से 6 माह की अवधि में इन याचिकाओं का निपटारा हो जाना चाहिए।
15. चुनावों में मीडिया, प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रॉनिक प्रचारतंत्र, चुनाव सर्वेक्षण एवं एरिजल पाल आदि के नियमन एवं नियंत्रण के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की तर्ज पर एक प्राधिकरण का गठन होना चाहिए।
16. चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन होना चाहिए और इसका उलंघन करने वाले प्रत्याशियों/ दलों पर कठोर एवं त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए।
17. उदासीन मतदाताओं के मताधिकार के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल एवं इटरनेट के माध्यम से मतदान को अनुमति दी जा सकती है, इसलिए निर्वाचक नामावली तैयार करते समय मतदान के प्रयोग की विधि के विकल्प को लेकर तदनुसार व्यवस्था की जानी चाहिए।

वस्तुतः निर्वाचन सुधार एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इस सुधारों की सूची अनन्तिम होती है, जिसमें गत अनुभव एवं आवश्यकता के सुझाव जुड़ते चले जाते हैं। समय-समय पर उत्पन्न विभिन्न व्याधियों, कमियों, कठिनाईयों पर नियंत्रण पाने के लिए यथासम्भव प्रयास हुए हैं। लेकिन इस दिशा में अभिजन वर्ग में गंभीर दृष्टिकोण एवं प्रतिबद्धता का निरन्तर अभाव दृष्टिगोचर वर्ग की कथनी और करनी में गंभीर अन्तर विद्यमान किसी भी विकृति के सन्दर्भ में राजनीतिक पक्ष निरपेक्ष दृष्टिकोण नहीं अपना सकते, क्योंकि एक समय विशेष विकृति से कोई न कोई राजनीतिक दल अवश्य लाभान्वित होता है।

सन्दर्भ सूची

1. अशोक शर्मा : भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन अनुसंधान व विशद् अध्ययन संस्थान, जयपुर, 1948, पृ. VII
2. के.के. खुलर : चुनावी हंसी मजाक, योजना, जनवरी, 2009, पृ.59
3. भारत संविधान का अनुच्छे 327
4. Consulation : Paper on the review of Election Law, Processes the Reform Optoin, National Commission to review the Working Constitution, P.475
5. Election Commission of Inida Letter No. 03/01/2011/SDR, 25/Feb/2011
6. Dons defeated by the People, Hindusatan Times, 18/may/2009
7. दैनिक भास्कर, 13 नवम्बर, 2003
8. श्याय लाल शकधर : संविधान और संसद ; नैशनल पब्लिशिंग हास, नई दिल्ली, 1975, पृ.438